संख्या-53/2015/558/41-15-130 सा0/13 टीसी-।।

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0 लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2015

विषय- केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में कामदगिरी परिक्रमा मार्ग के सौन्दर्यीकरण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर्यटन निदेशालय के पत्र सं0-2065/6-1-1 (कामदगिरी)/2015 दिनांक 27-02-2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश सं0 66/2489/41-2014-130 सा0/13, दिनांक 29.10.2014 द्वारा जनपद चित्रकूट में कामदगिरी परिक्रमा मार्ग के सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित आगणन के परीक्षणोपरान्त आंकलित लागत रू0 363.49 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये भारत सरकार से स्वीकृत धनराशि रू0 72.07 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 5.00 लाख की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। भारत सरकार के स्वीकृत पत्र सं0 5 पीएनसी (54)/2013, दिनांक 16.02.2015 द्वारा रू0 67.32 लाख की धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से राज्य सरकार को हस्तान्तरित की गयी है।

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 में केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत जनपद चित्रकूट में कामदगिरी परिक्रमा मार्ग के सौन्दर्यीकरण की योजना हेतु रू0 67.32 लाख की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं -

1- भारत सरकार ने स्वीकृत पत्र सं0 5 पीएनसी (54)/2013, दिनांक-04.03.2014 द्वारा यह योजना अनुमोदित है। उक्त स्वीकृति पत्र में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यमदों पर स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार किया जायेगा।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3- स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा एवं उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत के सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति की सूचना व उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5- यदि कोई धनराशि बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित/राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो।

7- यह भी सुनिश्चित किया जाय कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय भार न पडे।

8- योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों की फोटोग्राफी कराकर तत्काल उपलब्ध करायी जाये जिससे प्रगति के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके।

3. उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-44 के अन्तर्गत के लेखा शीर्षक-5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-80-सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित-योजनायें-0115-डेस्टिनेशन/सर्किट डेवलपमेन्ट योजनान्तर्गत पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक-22.07.2014 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन प्रशासकीय विभाग द्वारा निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(श्याम मोहन तिवारी)
अनु सचिव।

<u>संख्या-53/2015/558 (1)/41-2015 तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- सचिव, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3- निजी सचिव, मा0 पर्यटन मंत्री, उ0प्र0 लखनऊ।
4- मण्डलायुक्त, चित्रकूट धाम मण्डल/जिलाधिकारी, चित्रकूट।
5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4
8- क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, चित्रकूट।
9- श्री राजा राम वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे वेब-साइट पर अंकित करना सुनिश्चित करें।
10- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

http://shasanadesh.up.nic.in

(श्याम मोहन तिवारी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in